

समय सीमा समीक्षा बैठक दिनांक 19.02.2018 का कार्यवाही विवरण।

आज दिनांक 19.02.2018 को समय सीमा बैठक कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई, सुश्री संजना जैन अपर कलेक्टर, एवं, नगरीय एस.डी.एम. तथा विभाग जिला प्रमुख उपस्थित रहे।

1. समाधान ऑनलाईन :- आगामी समाधान ऑनलाइन माह मार्च 2018 हेतु चयनित विषय अनुसार विभागवार जानकारी ली गई व समीक्षा की गई। विभागों, द्वारा लापरवाही और उदासीनता बरती जा रही है। जिला अधिकारी स्पष्ट कर लें। आगामी समाधान को ध्यान में रखकर लंबित शिकायतें त्वरित रूप से निपटाएं। चयनित विषय निम्नानुसार हैं:-

एक-300 दिन से अधिक की लंबित शिकायतें (सभी विभाग) :- विभागवार समीक्षा की गई। इसमें सर्वाधिक शिकायतें कृषि-39, वन-28, नगरीय प्रशासन-20, आदिम जाति कल्याण-14, पंचायत-17, लोक निर्माण विभाग-18, स्कूल शिक्षा-16, उर्जा विभाग-06, पी.एच.ई.-05, चिकित्सा शिक्षा-08, पशुपालन-05, गृहविभाग-05, महिला बाल विकास-05, लीड बैंक-07, सामाजिक न्याय-04, राजस्व-04, उद्योग-03, उच्च शिक्षा-03, योजना-03, श्रम विभाग-02 की समीक्षा में पायी गयी। उक्त सभी विभाग के जिला प्रमुख एक सप्ताह के अंदर अंतिम निराकरण करें तदानुसार पत्र जारी किया जाए। इसमें शिक्षा विभाग की संविलियन से संबंधित 11 शिकायतें हैं। सी.ई.ओ.जिला पंचायत को अंतिम निराकरण सुनिश्चित करने पत्र जारी किया जाए। ए.सी.टी.डब्ल्यू की 14 शिकायतें हैं। श्री अंशुल गुप्ता सहायक कलेक्टर एक सप्ताह में निराकरण करें। तदानुसार उन्हें निर्देश जारी किया जाए। निराकरण के कड़े निर्देश दिए गए। सभी लोग अपनी शिकायतों को स्वयं पढ़ लें, स्ट्रीमिंग अनुसार विषयांतर्गत समाधान कारक निराकरण प्रस्तुत करें।

दो-कपिल धारा (कूप निर्माण) मेड़ बांधन, खेत, तालाब, भूमि शिल्प, नंदन फल उद्यान (मनरेगा) (पंचायत एवं ग्रामीण विकास):- विभाग प्राथमिकता से ध्यान रखें।

तीन— नजूल से नामांतरण/अनापत्ति प्रमाण पत्र से संबंधित (राजस्व विभाग):— शहरी क्षेत्र के एस. डएमी. गंभीरता से लें, निर्णय लें। अमान्य या मान्य करें।

चार—पेंशन (विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी) से संबंधित शिकायतें (समस्त विभाग):— सभी विभाग प्राथमिकता से ध्यान रखें।

पाँच— सार्वजनिक हैंडपम्प के निजी अतिक्रमण से संबंधित (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग):— सभी विभाग प्राथमिकता से ध्यान रखें।

छ:— उपचार न मिलने/ विलम्ब से मिलने /पूर्ण उपचार न मिलने उपचार के उपरांत फॉलोअप न करने संबंधी (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग):— इस विषय से संबंधित शिकायतों पर डीन मेडिकल, सी.एम.एच.ओ. सभी ध्यान देकर सभी शिकायतों का निराकरण करें।

सात— भू-अर्जन एवं पुनर्वास से संबंधित (जल संसाधन विभाग):— सभी संबंधित ई.ई.जल संसाधन एन.व्ही.डी.ए. ध्यान देकर पुनर्वास से संबंधित शिकायतों का निराकरण करायें।

2. सी.एम.हेल्प लाइन :- एल-4 में सबसे अधिक कृषि उपज मंडी-91, उर्जा विभाग-77, चिकित्सा शिक्षा-73, वन विभाग-62, आदिवासी विकास-44, लीड बैंक-संस्थागत वित्त-61, लोक शिक्षण-58, कृषि-51, सामाजिक न्याय-51, समस्त जन कल्याणकारी योजनायें-32, राजस्व विभाग-31, नगर निगम-40, कौशल विकास-33, सामान्य प्रशासन विभाग-27, उच्च शिक्षा-24, एकीकृत बाल विकास-22, पी.एच.ई-23, पशुपालन-26, स्वच्छ भारत पंचायत-22, सहकारिता-23, एम.पी.आर.डी. सी.-, डी.पी.सी.-15, मनरेगा-18, इन्दिरा आवास-13, पेंडिंग शिकायतें समीक्षा में पाई गई। जिसके अतिशीघ्र निराकरण के निर्देश दिये गये।

उक्त एल-4 की शिकायतों में जिनकी 25 से अधिक शिकायतें हैं। ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस ए.डी.सी. के माध्यम से प्रस्तुत करें। सुश्री संजना जैन अपर

✓

कलेक्टर एवं उप-जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन से संबंधित सी.एम.हेल्प लाइन के लंबित शिकायतों की विस्तृत समीक्षा की गई। तदानुसार संबंधित एस.डी.एम. को निर्देश दिए गए। बी.एल.ओ. पर अनुभागवार ध्यान दिया जाए। सारे एस.डी.एम. अपने-अपने क्षेत्र में समीक्षा कर लें। इससे संबंधित बजट ए.आर.ओ देख लें। लेप्स नहीं होना चाहिए।

3. **बजट:**— पूर्व बैठक में निर्देश दिए गए थे कि जिला कोषालय अधिकारी समीक्षात्मक विभागवार चार्ट बनाएं अगली बैठक में प्रस्तुत करें।

सभी शासकीय विभागों को पुनः निर्देश दिए गए कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त आबंटन तथा उसके समुचित यूटिलाइजेशन की कार्यवाही पूर्ण की जाए। किसी भी स्थिति में बजट लेप्स न हो। सी.एस. द्वारा बजट पर रिव्यू किया जाना है। टी.ओ. मॉनीटरिंग करें। डी.डी.ओ. अग्रिम आहरण न करें। सीधे एजेन्सी के खातों में पैसे जमा करें। प्रभारी वित्त शाखा कार्यालय कलेक्टर को प्राप्त आबंटन तथा व्यय का विशेष ध्यान रखें। विभागों को प्राप्त आबंटन लेप्स होने पर सभी जिलाधिकारी जिम्मेदार होंगे।

4. **जनसुनवाई** :- जिला स्तर के कार्यालयों में जनसुनवाई में प्रभावी कार्यवाही नहीं हो रही है। सभी कार्यालयों का ए.डी.एम. आकस्मिक निरीक्षण करें।

5. **राज्य स्तरीय प्रोग्राम** :- जबलपुर जिले असंगठित श्रमिकों का राज्य स्तरीय प्रोग्राम श्रम विभाग से प्राप्त हुआ है। दिनांक 24.02.18 को माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में पनागर में वृहद आयोजन किया जाना है। असंगठित क्षेत्र के अधिकारी गण, पनागर पहुंचेंगे। अधिक से अधिक संख्या में हितग्राहियों को पहुंचाना है तथा उन्हें विभिन्न योजनांतर्गत हितलाभ दिया जाना है। विभागों द्वारा प्रदर्शनी लगाई जाए। जिसमें कृषि, मत्स्य, वन, महिला बाल विकास, बैंक, हेल्थ, बिजली विभाग, खनिज विभाग की लोक-कल्याण की योजनाओं का प्रदर्शन किया जाए।

✓

6. **जनसंपर्क** :- जिला प्रशासन द्वारा तय किया गया है कि पंचायतों को रेत निकासी के अधिकार सरलीकृत प्रक्रिया के तहत दिए जा रहे हैं। इसके प्रचार प्रसार हेतु उप- संचालक जनसंपर्क को निर्देश दिए गए।
7. **फसल बीमा** :- पूर्व बैठकों से निर्देश दिए जा रहे हैं कि डी.डी.ए. वास्तव में कृषकों का अधिक से अधिक बीमा का पंजीयन करायें।
8. **भावांतर** :- रबी की फसलों में चना, मसूर, सरसों एवं प्याज का नोटिफिकेशन हुआ है। 12 फरवरी से पंजीयन प्रारंभ होगा। पूर्व उपार्जन केन्द्रों में तथा मंडियों आदि में कृषकों का पंजीयन कराना उप संचालक कृषि सुनिश्चित करें। भावांतर की राशि का भुगतान शेष न रहे।
9. **स्कूलों में परीक्षा व्यवस्था** :- जिले के सभी केन्द्रों में स्थाई सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये जाने के आदेश जारी किए गए। बोर्ड के निर्देश आदि की जानकारी प्रस्तुत करने के डी. ई. ओ. को निर्देश दिये गये।
10. **एस.एल.आर.** :- एस.एल.आर. मोबाईल गिरदावरी को प्राथमिकता से पूर्ण करायें। 20-50 के तहत ऐसे कर्मचारियों एवं आर.आई.,पटवारियों की सूची तैयार करने के निर्देश पूर्व में दिए गए थे किन्तु अभी तक कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई है। समीक्षा कर नियत करें। एस.डी.एम. निर्णय लें।
11. **खराब अनाज का डिस्पोजल** :- पूर्व बैठक में खराब माल के तत्काल डिस्पोजल के निर्देश दिए गए थे किन्तु जी.एम.सी.सी.बी., डी.एम.ओ. एवं डी.आर.सी.एस. द्वारा पालन नहीं किया गया।

✓

उक्त तीनों अधिकारियों को संयुक्त हस्ताक्षर से 15 फरवरी तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे किन्तु अभी तक कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई है।

जनप्रतिनिधियों, कमिश्नर कार्यालय, लोकायुक्त तथा आर्थिक अपराध ब्यूरो, मानव अधिकार आयोग, हाईकोर्ट के प्रकरण तथा अन्य विभागों की शिकायतों एवं समय सीमा के प्रश्नों की विभागवार समीक्षा की गई। निर्देश दिए गए कि ऐसी शिकायतों पर गंभीरता दिखाई जाकर त्वरित निराकरण किया जाये।

उक्त निर्देशों के साथ मीटिंग सधन्यवाद समाप्त की गई।

कलेक्टर
जबलपुर

पु.क्र/1434/अधीक्षक/टी.एल/2018

जबलपुर दिनांक 20 फरवरी 2018

प्रतिलिपि :-

1. कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर।
2. जिले के समस्त विभाग प्रमुख को सूचनार्थ पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
जबलपुर